



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072023-247563  
CG-DL-E-24072023-247563

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]  
No. 425]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2023/श्रावण 2, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2023/SHRAVANA 2, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

सा.का.नि 531(अ)—केन्द्रीय सरकार, इस मतानुसार कि विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक और व्यावहारिक है, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 9ए के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खंड (ण) तथा (द) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. लघु शीर्ष और प्रारंभन- (1) इन नियमों को नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(i) "राज्य सरकारों और निजी मालिकों द्वारा प्रचालित विमानक्षेत्र (सार्वजनिक/निजी उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति दिये गए हवाईअड्डे और नियोजित आरसीएस हवाईअड्डे)" शीर्षक के तहत अनुसूची-IV, भाग-1

में, क्र. सं. 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	हवाईअड्डा	राज्य	एआरपी निर्देशांक	हवाईअड्डा एलिवेशन (मीटर में)	रनवे	आयाम मीटर में	स्वामी/प्रचालक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"44	शिवमोग्गा	कर्नाटक	13° 51' 34.554" N 075° 37' 03.710" E	630.55	08/26	3050X45	केएसआईआईडीसी";

(ii) उक्त नियमों में, अनुसूची-V में, "रक्षा मंत्रालय विमानक्षेत्र" शीर्षक के तहत, क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	हवाईअड्डा	राज्य	एआरपी कॉर्डिनेट	हवाईअड्डा एलिवेशन मीटर में	रनवे	आयाम मीटर में	स्वामी/प्रचालक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"105	एटीआर, चित्रदुर्ग	कर्नाटक	14° 23' 17.35802" N 076° 34' 22.21253" E	608.447 ARP	09/27	3000X45	डीआरडीओ";

(iii) उक्त नियमों में, अनुसूची-VII में, शीर्षक "भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए गए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे" प्रदान किया है, के अंतर्गत -

(क) क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ हटा दी जाएंगी;

(ख) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों विलोपित कर दी, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	हवाईअड्डे (1)	राज्य (2)	एआरपी अनुदेश (3)	मीटर में एयरोड्रोम एलिवेशन (4)	रनवे (5)	मीटर में आयाम (6)	स्वामी/प्रचालक (7)
"13	नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	महाराष्ट्र	18° 59' 39.780" N 73° 04' 12.950" E	10.10	08L/26R 08R/26L	3700 x 60 3700 x 60	स्वामी-सिडको प्रचालक - एनएमआईएएल".

[फा. सं. 24011/28/2017-एएआई-एमओसीए]

रबीना अली, संयुक्त सचिव

**नोट—** प्रधान नियम दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.751(अ.) के अंतर्गत दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तथा इसमें अंतिम संशोधन, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 की सा.का.नि संख्या 702 (अ.) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2023

**G.S.R. 531(E).**—The Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient to do so for the safety of aircraft operations, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (o) and (r) of sub-section (2) of section 5, read with section 9A of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), hereby makes the following further amendments in the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015.

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015 (hereinafter referred to as said rules),-

(i) In Schedule IV, Part-1, under the heading “**AERODROME OPERATED BY THE STATE GOVERNMENTS AND PRIVATE OWNERS (AERODROMES LICENSED FOR PUBLIC/PRIVATE USE AND PLANNED RCS AIRPORTS)**”, after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Airport	State	ARP Coordinates	Aerodrome Elevation in Meters	Runway	Dimension in Meters	Owner/ Operator
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“44	Shivamogga	Karnataka	13° 51' 34.554" N 075° 37' 03.710" E	630.55	08/26	3050X45	KSIIDC”;

(ii) In the said rules, in Schedule-V, under the heading “**DEFENCE AERODROMES**”, after S. No. 104 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Airport	State	ARP Coordinates	Aerodrome Elevation in Meters	Runway	Dimension in Meters	Owner/ Operator
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“105	ATR, Chitradurga	Karnataka	14°23' 17.35802" N 076° 34' 22.21253" E	608.447 ARP	09/27	3000X45	DRDO”;

(iii) In the said rules, in Schedule-VII, under the heading “**GREENFIELD AIRPORTS FOR WHICH GOVERNMENT OF INDIA HAS GIVEN “IN-PRINCIPLE APPROVAL”**”,-

(a) Serial No. 18 and entries relating thereto shall be omitted;

(b) for Serial No. 13 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:-

No.	Airport (1)	State (2)	Coordinates (3)	Aerodrome Elevation in Meters (4)	Runway (5)	Dimension in Meters (6)	Owner/ Operator (7)
“13	Navi Mumbai Internation al Airport	Maharashtra	18° 59' 39.780" N  73° 04' 12.950" E	10.10	08L/26R 08R/26L	3700 x 60 3700 x 60	Owner- CIDCO  Operator- NMIAL”.

[F.No. 24011/28/2017-AAI-MOCA]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1<sup>st</sup> day of October, 2015, *vide* number G.S.R. 751(E) dated 30th September, 2015 and were last amended *vide* number G.S.R.702(E) dated 13<sup>th</sup> September 2022.